

आदेश संख्या: आईआरडीएआई/एफ&आई/आदेश/विविध/73/05/2024
Order Number: IRDA/F&I/ORD/MISC/73/05/2024

दिनांक: 02 मई, 2024
Date: 02 May, 2024

आईआरडीएआई (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2000 [अब निरस्त और आईआरडीएआई (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2022 द्वारा तथा बाद में आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं का पंजीकरण, पूँजी विन्यास, शेयरों का अंतरण और समामेलन) विनियम, 2024 द्वारा प्रतिस्थापित] के विनियम 5(2)(iv) के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 (इस आदेश में इसके बाद "अधिनियम" के रूप में उल्लिखित) की धारा 26 के अधीन गो डिजिट जनरल इश्योरेंस लि. (इस आदेश में इसके बाद "बीमाकर्ता" के रूप में उल्लिखित) के मामले में आदेश

Order in the matter of Go Digit General Insurance Ltd. (hereinafter referred to as "the insurer") under section 26 of the Insurance Act, 1938 (hereinafter referred to as "the Act") read with Regulation 5(2)(iv) of IRDAI (Registration of Indian Insurance Companies) Regulations, 2000 [now repealed and replaced by IRDAI (Registration of Indian Insurance Companies) Regulations, 2022 and subsequently by IRDAI (Registration, Capital Structure, Transfer of Shares and Amalgamation of Insurers) Regulations, 2024]

निम्नलिखित के आधार पर / Based on:

- (i) कारण बताओ नोटिस (इस आदेश में इसके बाद "एससीएन" के रूप में उल्लिखित) संदर्भ सं. 559/एफ&ए(एनएल)/गोडिजिट/23-24/72 दिनांक 10.10.2023
Show Cause Notice (hereinafter referred to as "SCN") reference No. 559/F&A(NL)/GoDigit/23-24/72 dated 10.10.2023.
- (ii) बीमाकर्ता का उत्तर दिनांक 27.10.2023 तथा बीमाकर्ता के ई-मेल दिनांक 16.04.2024 सहित अनुवर्ती पत्राचार।
Response of the insurer dated 27.10.2023 and subsequent communication resting with insurer's email dated 16.04.2024.

पृष्ठभूमि / Background:

1. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इस आदेश में इसके बाद "आईआरडीएआई" के रूप में उल्लिखित) ने इस शर्त सहित अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न शर्तों के अधीन अधिनियम की धारा 3 के अनुसार भारत में साधारण बीमा व्यवसाय करने के लिए बीमाकर्ता को पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. 158 दिनांक 20 सितंबर, 2017 प्रदान किया, कि:
The Insurance Regulatory & Development Authority of India (herein after referred to as "the IRDAI") granted Certificate of Registration No. 158 dated 20th September, 2017 to the Insurer, to carry out general insurance business in India in terms of Section 3 of the Act subject to various conditions inter alia including the condition that:

क. बीमाकर्ता बीमा अधिनियम, 1938 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों के उपबंधों का अनुपालन करेगा।

a. The insurer shall comply with the provisions of the Insurance Act, 1938 and the Rules and Regulations made thereunder.

ख. बीमाकर्ता एक सार्वजनिक कंपनी होगी तथा कंपनी के संघटन या संरचना में कोई भी परिवर्तन अथवा प्रवर्तकों की शेयरधारिता के स्वरूप में परिवर्तन प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किये जाएँगे।

b. The insurer shall be a public company and no change in the structure or composition of the company or changes in the shareholding pattern of the promoters shall be made except with the prior permission of the Authority.

2. अधिनियम की धारा 26 व्यवस्था करती है कि "जब भी ऐसा कोई परिवर्तन घटित होता है अथवा किया जाता है जो पंजीकरण हेतु बीमाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन के साथ धारा 3 की उप-धारा (2) के उपबंधों के अंतर्गत अपेक्षित किसी भी विषय को प्रभावित करता है, तब बीमाकर्ता ऐसे परिवर्तन का पूरा विवरण प्राधिकरण को तत्काल प्रस्तुत करेगा।"

Section 26 of the Act provides that "Whenever any alteration occurs or is made which affects any of the matters which are required under the provisions of sub-section (2) of section 3 to accompany an application by an insurer for registration, the insurer shall forthwith furnish to the Authority full particulars of such alteration."

3. आईआरडीए (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2000 का विनियम 5(2)(iv) व्यवस्था करता है कि "पंजीकरण हेतु आवेदन के लिए प्रत्येक माँग-पत्र के साथ आवेदक के भारतीय प्रवर्तकों और विदेशी निवेशकों के बीच शेयरधारकों के करार की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की जाएगी।"

Regulation 5(2)(iv) of IRDA (Registration of Indian Insurance Companies) Regulations, 2000 provided that "Every requisition for registration application shall be accompanied by a certified copy of the shareholders' agreement between Indian Promoters and Foreign Investors of the applicant."

4. बीमाकर्ता को पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने से पहले उसने निम्नलिखित व्यक्तियों/ संस्थाओं के बीच संयुक्त उद्यम करार दिनांक 30.05.2017 प्रस्तुत किया।

Before the grant of Certificate of Registration to the insurer, it submitted the Joint Venture Agreement dated 30.05.2017 between the following individual/entities:

क. श्री कामेश गोयल

a. Mr. Kamesh Goyal,

ख. मेसर्स ओबेन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, (बाद में ओबेन वेंचर्स एलएलपी के रूप में नाम परिवर्तित किया गया)

b. M/s Oben Ventures Private Limited, (later renamed to Oben Ventures LLP)

- ग. मेसर्स एफएएल कारपोरेशन,
c. M/s FAL Corporation,
- घ. मेसर्स ओबेन सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड (बाद में गो डिजिट इन्फोवर्क्स सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड के रूप में नाम परिवर्तित किया गया) तथा
d. M/s Oben Services Private Limited (later renamed to Go Digit Infoworks Services Private Limited) and
- ङ. मेसर्स ओबेन जनरल इश्योरेंस लिमिटेड (बाद में गो डिजिट जनरल इश्योरेंस लिमिटेड के रूप में नाम परिवर्तित किया गया)।
e. M/s Oben General Insurance Limited (later renamed to Go Digit General Insurance Limited).
5. गो डिजिट इन्फोवर्क्स सर्विसेज़ प्रा. लि. (इस आदेश में इसके बाद "जीडीआईएसपीएल" के रूप में उल्लिखित) बीमाकर्ता का प्रवर्तक है। 31.12.2023 की स्थिति के अनुसार, जीडीआईएसपीएल बीमाकर्ता की ईक्विटी पूँजी का 83.41% धारित करती है।
Go Digit Infoworks Services Pvt Ltd. (hereinafter referred to as "GDISPL") is the promoter of the insurer. As on 31.12.2023, GDISPL holds 83.41% equity capital of the insurer.
6. उपर्युक्त जेवी करार दिनांक 30.05.2017 के अनुसार:
As per the said JV Agreement dated 30.05.2017:
- क. उक्त गो डिजिट इन्फोवर्क्स सर्विसेज़ प्रा. लि. (इस आदेश में इसके बाद "जीडीआईएसपीएल" के रूप में उल्लिखित) को एफएएल कारपोरेशन को अनिवार्य परिवर्तनीय अधिमानी शेयर (सीसीपीएस) जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया।
a. The Go Digit Infoworks Services Pvt Ltd. (hereinafter referred to as "GDISPL") was authorised to issue 63,00,000 compulsorily convertible preference shares (CCPS) to FAL Corporation.
- ख. प्रत्येक सीसीपीएस को लागू विधियों और उक्त करार के उपबंधों के अंतर्गत अधिकतम अनुमत सीमा के अधीन सममूल्य पर 2.324 ईक्विटी शेयरों में संचयी तौर पर परिवर्तित किया जाएगा।
b. Each CCPS shall be cumulatively converted into 2.324 Equity Share at par, subject to the maximum permissible limit under Applicable Laws and the provisions of the Agreement.
7. उपर्युक्त जेवी करार 11.08.2022 को संशोधित किया गया।
The said JV agreement was amended on 11.08.2022.
8. जीडीआईएसपीएल ने निम्नलिखित 4 भागों में सीसीपीएस जारी किये:
The GDISPL issued CCPS in following 4 tranches:

भाग Tranche	आबंटन की तारीख Date of allotment	सीसीपीएस की संख्या Number of CCPS	सीसीपीएस परिवर्तन अनुपात [सीसीपीएस, ईक्विटी] CCPS Conversion Ratio [CCPS : Equity]	
			(जेवी करार दिनांक 30.05.2017 के अनुसार) (As per JV Agreement dated 30.05.2017)	(जेवी संशोधन करार दिनांक 11.08.2022 के अनुसार) (As per JV Amendment Agreement dated 11.08.2022)
1	31.05.2017	31,50,000	1 : 2.324	2.324 : 1
2	06.07.2018	31,50,000	1 : 2.324	2.324 : 1
3	29.03.2019	7,50,000	-	3.55 : 1
4	27.06.2019	7,50,000	-	3.55 : 1

9. अपने उत्तर में बीमाकर्ता ने यह भी सूचित किया कि पैरा 8 में सारणी के अनुसार भाग 2 के लिए परिवर्तन अनुपात जीडीआईएसपीएल की 03.07.2018 को आयोजित जीडीआईएसपीएल की ईजीएम में पारित संकल्प में 2.324 सीसीपीएस के लिए 1 ईक्विटी शेयर के रूप में दर्ज किया गया। यह जेवी करार दिनांक 30.05.2017 के अनुसार नहीं था।

In its response, the insurer also informed that for tranche 2 as per table in para 8, the conversion ratio recorded as 1 equity share for 2.324 CCPS in the resolution passed in the EGM of GDISPL held on 03.07.2018 of the GDISPL. The same was not in accordance with the JV Agreement dated 30.05.2017.

10. उपर्युक्त पैरा 6 के साथ पठित उपर्युक्त पैरा 8 के अनुसार सारणी से निम्नलिखित को पाया गया है:

The following is observed from the table as per para 8 above read with para 6 above:

क. भाग 1 और 2 के लिए अनुपात (कुल 63,00,000 सीसीपीएस) को जेवी करार दिनांक 30.05.2017 के अनुसार 1 सीसीपीएस के लिए 2.324 ईक्विटी शेयर की तुलना में 2.324 सीसीपीएस के लिए 1 ईक्विटी शेयर के रूप में दर्ज किया गया है।

a. The ratio for tranche 1 and 2 (total 63,00,000 CCPS) has been recorded as 1 equity share for 2.324 CCPS as against 2.324 equity share for 1 CCPS as per JV agreement dated 30.05.2017.

ख. 63,00,000 सीसीपीएस के स्थान पर, जीडीआईएसपीएल द्वारा कुल 78,00,000 सीसीपीएस जारी किये गये हैं।

b. Instead of 63,00,000 CCPS, total 78,00,000 CCPS has been issued by GDISPL.

11. बीमाकर्ता के द्वारा सेबी के पास फाइल की गई रेड हेरिंग विवरणिका के प्रारूप (डीआरएचपी) का अवलोकन करने पर (जिसकी एक प्रति आईआरडीआई को भेजी गई थी), यह पाया गया कि उक्त डीआरएचपी में परिवर्तन अनुपात में परिवर्तन के संबंध में प्रकटीकरण निहित है। तदनुसार, बीमाकर्ता

को इसका विवरण प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया गया। इसके उत्तर में बीमाकर्ता ने अपने प्रत्युत्तर दिनांक 17.07.2023 के अनुसार उपर्युक्त परिवर्तन का विवरण प्रस्तुत किया।

Upon perusal of the Draft Red Herring Prospectus (DRHP) filed by the insurer with the SEBI (a copy of the same was shared to the IRDAI), it was observed that the DRHP contains disclosure regarding the change in conversion ratio. Accordingly, the insurer was advised to provide details of the same. In response to which, the insurer, vide its response dated 17.07.2023, provided the details of the said change.

आरोप / Charge

12. उपर्युक्त पैरा 2 और 3 के अनुसार, बीमाकर्ता से अपेक्षित था कि वह उक्त जेवी करार में उपर्युक्त परिवर्तन का पूरा विवरण प्रस्तुत करे। तथापि, बीमाकर्ता ने वह 17.07.2023 तक प्रस्तुत नहीं किया। अतः बीमाकर्ता ने अधिनियम की धारा 26 का उल्लंघन किया है। इसे देखते हुए एससीएन दिनांक 10.10.2023 बीमाकर्ता को उसके उत्तर की अपेक्षा करते हुए जारी किया गया।

In terms of para 2 and 3 above, the insurer was required to submit full particulars of the said alteration in the JV agreement. However, the insurer failed to submit the same until 17.07.2023. Hence, the insurer has violated section 26 of the Act. In view of the same, SCN dated 10.10.2023 was issued to the insurer seeking its response.

एससीएन के लिए बीमाकर्ता का उत्तर / Response of the Insurer to the SCN:

13. बीमाकर्ता ने अपने उत्तर दिनांक 27.10.2023 में प्रस्तुतीकरण किया कि:

The insurer, in its response dated 27.10.2023, submitted that:

- क. "कंपनी के प्रवर्तक के शेयरधारकों के बीच संयुक्त उद्यम के प्रारंभ से, सही और सहमति-प्राप्त परिवर्तन अनुपात "एक ईक्विटी शेयर के लिए 2.324 सीसीपीएस" था।"
- a. "From the commencement of the joint venture between the shareholders of the Promoter of the Company, the correct and agreed upon conversion ratio was "2.324 CCPS for one equity share"."
- ख. "भाग 1 और भाग 2 में कुल 63,00,000 सीसीपीएस के लिए एफएएल कारपोरेशन को आबंटित सीसीपीएस के लिए परिवर्तन अनुपात जेवी करार में त्रुटिवश "एक ईक्विटी शेयर के लिए 2.324 सीसीपीएस" के रूप में होने के बजाय "2.324 ईक्विटी शेयरों के लिए एक सीसीपीएस" के रूप में दर्ज किया गया था।"
- b. "The conversion ratio for the CCPS allotted to FAL Corporation in tranche 1 and tranche 2, aggregating to 63,00,000 CCPS, was inadvertently recorded in the JV Agreement as "one CCPS for 2.324 equity shares" instead of as "2.324 CCPS for one equity share". "
- ग. "यह ध्यान में रखना प्रासंगिक है कि ये आंकड़े विशुद्धतः केवल असावधानीवश परस्पर परिवर्तित हुए थे। इस असावधानीपूर्ण त्रुटि के परिणामस्वरूप, सीसीपीएस परिवर्तन अनुपात के संबंध में सहमति-प्राप्त वाणिज्यिक स्थिति जेवी करार में सही रूप में प्रतिबिंबित नहीं हुई।"

- c. "It is pertinent to note that these numbers were interchanged purely owing to inadvertence. As a result of this inadvertent error, the agreed commercial position regarding the CCPS conversion ratio was not accurately reflected in the JV Agreement"
- घ. "जैसा कि एक प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के लिए तैयारी करते समय मानक है, रेड हेरिंग विवरण-पुस्तिका के प्रारूप में प्रकटीकरण के प्रयोजनों के लिए जेवी करार की समीक्षा करने के दौरान प्रवर्तक और कंपनी ने उक्त परिवर्तन अनुपात में असावधानीपूर्ण त्रुटि को पाया तथा अन्य विषयों के बीच, उक्त जेवी करार के द्वारा परिवर्तन अनुपात में उक्त असावधानीपूर्ण त्रुटि को सुधारने का निर्णय लिया।"
- d. "As is standard at the time of preparing for an initial public offering, in course of reviewing the JV Agreement for the purposes of disclosure in the draft red herring prospectus, the Promoter and the Company noted the inadvertent error in the conversion ratio and decided to, amongst other matters, rectify the inadvertent error in the conversion ratio by way of the JVA Amendment."
- ङ. "जेवी करार के अंतर्गत सीसीपीएस के भाग 1 और भाग 2 के लिए परिवर्तन अनुपात को दर्ज करने में हुई त्रुटि को सुधारने सहित, जेवी करार के संबंध में पर्याप्त प्रकटीकरण कंपनी के द्वारा फाइल किये गये रेड हेरिंग विवरण-पुस्तिका के प्रारूप दिनांक 14 अगस्त, 2022 (उक्त "पिछला डीआरएचपी") तथा कंपनी के द्वारा फाइल किये गये रेड हेरिंग विवरण-पुस्तिका के प्रारूप दिनांक 30 मार्च 2023 ("डीआरएचपी") में शामिल किये गये थे।"
- e. "Adequate disclosures in respect of the JVA Amendment, including the rectification of the error in recording of the conversion ratio for tranche 1 and tranche 2 of the CCPS under the JV Agreement, were included in the draft red herring prospectus dated August 14, 2022 filed by the Company (the "Previous DRHP") and the draft red herring prospectus dated March 30, 2023 filed by the Company (the "DRHP")."
- च. "कंपनी स्वीकार करती है कि उसने प्राधिकरण के पास जेवी संशोधन की प्रति अलग से फाइल नहीं की जब डीआरएचपी फाइल करने से पहले अगस्त 2022 में जेवी करार में संशोधन किया गया था। तथापि, हम विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत करते हैं कि डीआरएचपी पर प्राधिकरण की टिप्पणी के बाद उत्तर स्वरूप पत्र दिनांक 17 जुलाई, 2023 के द्वारा प्राधिकरण को उक्त जेवी करार की एक प्रति प्रस्तुत की है। हम यह भी प्रस्तुतीकरण करते हैं कि प्राधिकरण को उक्त जेवी संशोधन विशिष्ट रूप से प्रस्तुत करना विशुद्धतः असावधानीवश था और अनभिप्रेत था।"
- f. "The Company admits that it did not separately file a copy of the JVA Amendment with the Authority when the amendment to the JV Agreement was carried out in August 2022 prior to filing of the DRHP. However, we humbly submit that the Company has provided a copy of the JVA Amendment to the Authority vide the response letter on July 17, 2023, after the Authority's observation on the DRHP. We further submit that, the specific non-submission of the JVA Amendment to the Authority was purely inadvertent and unintentional."

14. बीमाकर्ता ने दिनांक 27.10.2023 के अपने उत्तर में वैयक्तिक सुनवाई के लिए अनुरोध किया। उक्त वैयक्तिक सुनवाई 21.11.2023 को आयोजित की गई थी तथा उसकी सूचना बीमाकर्ता को ई-मेल दिनांक 17.11.2023 के द्वारा दी गई थी। तथापि, बीमाकर्ता ने अपने ई-मेल दिनांक 20.11.2023 के द्वारा वैयक्तिक सुनवाई के लिए अपने अनुरोध को वापस लिया तथा आईआरडीएआई से दिनांक 27.10.2023 के अपने उत्तर के आधार पर इस विषय में न्यायनिर्णय करने का अनुरोध किया।

The insurer, in its response dated 27.10.2023, requested for personal hearing. The personal hearing was scheduled on 21.11.2023 and the same was informed to insurer vide email dated 17.11.2023. However, the insurer, vide its email dated 20.11.2023, withdrew its request for personal hearing and requested IRDAI to adjudicate the matter on the basis of its response dated 27.10.2023.

टिप्पणी और निर्णय / Observation and Decision:

15. यह देखा गया है कि जेवी संशोधन करार का विवरण फाइल करने में असाधारण विलंब हुआ है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित विवरण निहित था:

It is observed that there has been an inordinate delay in filing the particulars of JV Amendment Agreement which *inter alia* contains details of:

क. परिवर्तन अनुपात में बदलाव

a. Change in conversion ratio

ख. जेवी करार दिनांक 30.05.2017 द्वारा प्राधिकृत 63,00,000 सीसीपीएस की तुलना में 78,00,000 के रूप में सीसीपीएस की कुल संख्या।

b. Total Number of CCPS as 78,00,000 as against 63,00,000 CCPS authorised by JV agreement dated 30.05.2017

16. उपर्युक्त पैरा 15 के अनुसार उपर्युक्त परिवर्तन महत्वपूर्ण हैं क्योंकि उपर्युक्त सीसीपीएस का परिवर्तन ईक्विटी शेयरों के रूप में करने पर यह जीडीआईएसपीएल की शेयरधारिता में परिवर्तन के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा।

The said changes, as per para 15 above, are material since this will lead to change in shareholding of GDISPL, upon conversion of the said CCPS into equity shares.

17. ऊपर बताये अनुसार तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह प्रमाणित हुआ है कि बीमाकर्ता ने अधिनियम की धारा 26 का अनुपालन नहीं किया है। तदनुसार, अधिनियम की धारा 102 के अंतर्गत आईआरडीएआई में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बीमाकर्ता पर रु. 1 करोड़ (केवल एक करोड़ रुपये) का अर्थदंड लगाया जाता है। बीमाकर्ता को निदेश दिया जाता है कि इस आदेश की तारीख से 45 दिन के अंदर उक्त अर्थदंड की राशि जमा करे। बीमाकर्ता को उपर्युक्त अर्थदंड की राशि अपने शेयरधारकों के खाते में नामे डालने का भी निदेश दिया जाता है। विप्रेषण की सूचना श्री महेश अग्रवाल, महाप्रबंधक (वित्त एवं निवेश) को भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, सर्वे सं. 115/1, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगूडा, हैदराबाद-500032 के पते पर भेजी जाए (ई-मेल आईडी: maheshagarwal@irdai.gov.in)।

In view of the facts and circumstances, as stated above, it is established that the insurer has failed to comply with section 26 of the Act. Accordingly, in exercise of

powers vested with the IRDAI under section 102 of the Act, a penalty of Rs.1 crore (Rupees One Crore only) is imposed on the insurer. The insurer is directed to deposit the penalty amount within 45 days of this Order. The insurer is also directed to charge the said penalty amount to its shareholders account. An intimation of remittance may be sent to Shri Mahesh Agarwal, General Manager (F&I) at the Insurance Regulatory and Development Authority of India, Survey no. 115/1, Financial District – Nanakramguda, Hyderabad – 500032 (email id : maheshagarwal@irdai.gov.in).

18. इस आदेश की एक प्रति आगामी बोर्ड बैठक के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी तथा उपर्युक्त बैठक से 15 दिन के अंदर बीमाकर्ता विचार-विमर्श के कार्यवृत्त की एक प्रति प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

A copy of this order shall be placed before next Board meeting and within 15 days of the said meeting, the insurer shall submit a copy of the minutes of discussion to the Authority.

19. यदि बीमाकर्ता इस आदेश में निहित किसी भी निर्णय से असंतुष्ट है, तो बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 110 के उपबंधों के अनुसार प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी) के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा सकती है।

If the Insurer feels aggrieved by any of the decisions in this order, an appeal may be preferred to the Securities Appellate Tribunal, Mumbai as per the provisions of Section 110 of the Insurance Act, 1938.



(राजय कुमार सिन्हा / Rajay Kumar Sinha)
सदस्य (वित्त एवं निवेश) / Member (F&I)



(थामस देवसिया / Thomas Devasia)
सदस्य (गैर-जीवन) / Member (Non-Life)

स्थान / Place: हैदराबाद / Hyderabad